HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 330/2026

Rudmal Samota S/o Shri Gangasahai, Resident Of Informant Of Saran Dharamkanta, Dhani Samota Wali, Ward No. 22, Jajekhurd @ Vishanpura, Via Shahpura, Teshil And Police Station Shahpura, District Jaipur, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor.
2. Jagdish Palsaniya S/o Shri Ramkaran Palsaniya, Resident Of Ward No. 21, Gayatri Nagar, Post Shahpura, Police Station Shahpura, District Jaipur, Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Puspendra Dutt Rundala, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP with Mr. Navdeep Singh, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

01/05/2026

धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन पर सुना गया।

आवेदन में वर्णित कारणों को देखते हुए, निगरानी याचिका पेश करने में जो 209 दिन का विलम्ब हुआ है, उसे माफ किया जाता है। इसी अनुसार यह आवेदन स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application No. 93/2026:-

दण्डादेश स्थगन आवेदन पर सुना गया।

अभियुक्त/याची को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा, जिला–जयपुर द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले में दोषसिद्ध करार देते हुए छः माह के साधारण कारावास व 5,75,000/–रुपये बतौर प्रतिकर दिलाये जाने का आदेश दिनांक 19.05.2018 को दिया गया, जिसके

विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 21/2018 न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–2 शाहपुरा, जिला–जयपुर द्वारा खारिज की गई थी तथा तत्समय अभियुक्त अनुपस्थित था, उसके उपरान्त यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई।

अभियुक्त द्वारा अभी तक समर्पण नहीं किया गया है, अतः राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के नियम 323 के अनुसार अभियुक्त के समर्पण किये बिना यह दण्डादेश स्थगन आवेदन सुनवाई हेतु स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में यह दण्डादेश स्थगन आवेदन खारिज किया जाता है। भविष्य में यदि अभियुक्त द्वारा समर्पण किया जाता है, तो वह नवीन दण्डादेश स्थगन आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र होगा।

S.B. Criminal Revision Petition No. 330/2026:-

चूंकि अभियुक्त द्वारा समर्पण नहीं किया गया है तथा दण्डादेश स्थगित भी नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को सजा भुगताने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इस संबंध में कार्यालय द्वारा इस आदेशिका की प्रति प्रेषित करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /121